

श्री 00 अभिलेख अधिकारी (समस्याग्रह अधिकारी), बाली, जिला-पाली (राजस्थान)  
अधिकारी : सुश्री धामनुदे स्नेहल नाना आई.एस.  
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 139/2021 GCMDS No : 2021/339  
दायरा तिथि : 13.12.2021  
फैसला तिथि : 16.05.2022

**प्रार्थी:-**

लक्ष्मण पुत्र स्व. नवाराजजी जाति मैथवाल  
निवासी खुडाला फालना तहसील बाली हाल निवासी पुनाईला रोड, पाली  
बनाम

**अप्रार्थी :-**

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

उपस्थिति:-

1. श्री नरपतसिंह राजपुरोहित..... अभिभाक्क प्रार्थी की ओर से
2. नायब तहसीलदार, बाली ..... पैरोकार सरकार की ओर से

-= आदेश =-

दिनांक 16.05.2022

**प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956**

प्रकरण के सक्षित तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध अप्रार्थी प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा ग्राम खुडाला तहसील बाली में धारित की जा रही सहखातेदारी भूमि खसरा नंबर 1660 रकबा 1.8900 हैक्टर में दर्ज त्रुटिपूर्ण नाम लच्छाराम पुत्र नवाराज की दुरस्ती के माध्यम से सही व वास्तविक नाम लक्ष्मणराम पुत्र नवाराज शुद्ध किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में बतौर अभिलेखीय साक्ष्य वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी की प्रति पेश की गई। प्रस्तुत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, बाली ने जांच कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार वर्णित भूमि में त्रुटिपूर्ण नाम लच्छाराम पुत्र नवाराज दर्ज होने तथा प्रार्थी द्वारा धारित दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, जनआधार कार्ड, पैन कार्ड, भामाशाह कार्ड, फुटकर विक्रेता पहचान पत्र व मतदाता पहचान पत्र के अनुसार प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम लक्ष्मणराम पुत्र नवाराज दर्ज होना स्वीकार किया, तथा उक्त त्रुटि नामान्तरकरण दर्ज करते समय होना स्वीकार करते हुये राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी के त्रुटिपूर्ण नाम लच्छाराम पुत्र नवाराज के स्थान पर लक्ष्मणराम पुत्र नवाराज शुद्ध किये जाने बाबत सहमति प्रदान की गई।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली की रिपोर्ट प्राप्त होने पर दकुलाय की बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री नरपतसिंह राजपुरोहित ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी कि प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम लक्ष्मणराम पुत्र नवाराज है, जिसकी पुष्टि में प्रार्थी द्वारा धारित आधार कार्ड, राशन कार्ड, जनआधार कार्ड, पैन कार्ड, भामाशाह कार्ड, फुटकर विक्रेता पहचान पत्र व मतदाता पहचान पत्र की प्रतियां पेश कर दी हैं। नामान्तरकरण दर्ज करते समय त्रुटिपूर्ण नाम लच्छाराम पुत्र नवाराज दर्ज है, जिससे राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज नाम को भी दुरस्त किये जाने की मांग की गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकॉर्ड के अध्ययन व दकुलाय की बहस पर नमन के पश्चात् प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा 136 राज. भूराजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है। ग्राम खुडाला तहसील बाली में धारित की जा रही सहखातेदारी भूमि खसरा नंबर 1660 रकबा 1.8900 हैक्टर में दर्ज त्रुटिपूर्ण नाम लच्छाराम पुत्र नवाराज की दुरस्ती के माध्यम से सही व वास्तविक नाम लक्ष्मणराम पुत्र नवाराज शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रेकॉर्ड में दर्ज शेष इन्द्राज बदस्तुर कायम रखे जावे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, खुडाला को पालनार्थ भिजवाई जावे। निसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 16.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुश्री धामनुदे स्नेहल नाना)  
अभिलेख अधिकारी  
(एस.डी.ओ.) बाली

(श्री 00 अभिलेख अधिकारी)  
(एस.डी.ओ.) बाली  
बाली, जिला-पाली (राज.)